



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 748 राँची, सोमवार

27 अग्रहायण, 1945 (श०)

18 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

20 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-22/2022-24669 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा गोड्डा एवं प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध वित्त विभाग के संकल्प सं०-1243/वि०, दिनांक 28.04.2016 का गलत व्याख्या कर श्री मदन मोहन मिश्रा, सेवानिवृत्त लिपिक को संविदा के आधार पर दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2020 तक जिला सामान्य शाखा, गोड्डा एवं जिला लेखा शाखा, गोड्डा के प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त कराने, श्री मिश्रा से मनमाफिक कार्य करवाने, श्री मिश्रा के सहयोग से दूसरे राज्य के व्यक्तियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने, खुद आवेदक बनकर शस्त्र का अनुज्ञप्ति प्राप्त करने एवं वाहन मालिक का प्राधिकार शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं रहने तथा दिये गये ए०एफ० वाहन का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं रहने के बावजूद भी इनके द्वारा तकनीकी निविदा अस्वीकृत नहीं करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-442, दिनांक 05.05.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री सुमन के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सुमन को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री सुमन द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री सुमन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्ता, गोड्डा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री विवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIVEK KUMAR SUMAN 20075300062	श्री विवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा गोड्डा एवं प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
